**2018 का विधेयक संख्यांक 123**

[दि कमर्शियल कोर्ट्स, कमर्शियल डिविजन एंड कमर्शियल अपीलेट डिविजन आफ हाई कोर्ट्स (अमेंडमेंट) बिल, 2018 का हिन्दी अनुवाद]

# वाणिज्यिक न्यायालय, उच्च न्यायालय वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपील प्रभाग (संशोधन) विधेयक, 2018

**वाणिज्यिक न्यायालय, उच्च न्यायालय वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपील प्रभाग अधिनियम, 2015 का संशोधन करने के लिए**

**विधेयक**

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

**1.** (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम वाणिज्यिक न्यायालय, उच्च न्यायालय वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपील प्रभाग (संशोधन) अधिनियम, 2018 है ।

(2) जैसा उपबंधित है, उसके सिवाय यह 3 मई, 2018 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

बृहत शीर्षक का संशोधन ।

**2.** वाणिज्यिक न्यायालय, उच्च न्यायालय वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपील प्रभाग अधिनियम, 2015 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) के बृहत शीर्षक में, ''वाणिज्यिक न्यायालय'' शब्दों के पश्चात् ''वाणिज्यिक अपील न्यायालय'' शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

धारा 1 का संशोधन ।

**3.** मूल अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 है ।"।

धारा 2 का संशोधन ।

**4.** मूल अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) में,--

(i) खंड (क) को उसके खंड (कक) के रूप में पुन:अक्षरांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुन:अक्षरांकित खंड (कक) से पहले निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

'(क) "वाणिज्यिक अपील न्यायालय" से धारा 3क के अधीन पदाभिहित वाणिज्यिक अपील न्यायालय अभिप्रेत है ।';

(ii) खंड (झ) में, "एक करोड़ रुपए" शब्दों के स्थान पर, "तीन लाख रुपए" शब्द रखे जाएंगे ।

अध्याय शीर्ष का प्रतिस्थापन ।

**5.** मूल अधिनियम के अध्याय 2 में, अध्याय शीर्ष के स्थान पर निम्नलिखित अध्याय शीर्ष रखा जाएगा, अर्थात् :--

"वाणिज्यिक न्यायालयों, वाणिज्यिक अपील न्यायालयों, वाणिज्यिक प्रभागों और वाणिज्यिक अपील प्रभागों का गठन"।

धारा 3 का संशोधन ।

**6.** मूल अधिनियम की धारा 3 में,--

(क) उपधारा (1) में परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखे जाएंगे, अर्थात् :--

"परंतु मामूली आरंभिक सिविल अधिकारिता वाले उच्च न्यायालयों के संबंध में राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा संबंधित उच्च न्यायालय के परामर्श के पश्चात् जिला न्यायाधीश स्तर पर वाणिज्यिक न्यायालयों की स्थापना कर सकेगी :

परंतु यह और कि किसी ऐसे राज्यक्षेत्र के संबंध में, जिस पर उच्च न्यायालयों की मामूली आरंभिक सिविल अधिकारिता है, राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसा धनीय मूल्य विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जो तीन लाख रुपए से कम और जिला न्यायालयों द्वारा प्रयोज्य धनीय अधिकारिता से अधिक नहीं होगा, जैसा वह उचित समझे ।";

(ख) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

"(1क) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार संबंधित उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात् अधिसूचना द्वारा संपूर्ण राज्य या राज्य के भाग के लिए ऐसा धनीय मूल्य विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जो वह उचित समझे, जो तीन लाख रुपए या ऐसे उच्चतर मूल्य से कम नहीं

होगा ।";

(ग) उपधारा (3) में,--

(i) हिन्दी पाठ में संशोधन की आवश्यकता नहीं है ।

(ii) "राज्य में उच्चतर न्यायिक सेवा के काडर में से" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रखे जाएंगे, अर्थात् :--

"या तो जिला न्यायाधीश के स्तर पर या किसी जिला न्यायाधीश के स्तर से निम्न किसी न्यायालय से" ।

नई धारा 3क का अंत:स्थापन।

**7.** मूल अधिनियम की धारा 3 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

वाणिज्यिक अपील न्यायालयों का अभिहित किया जाना ।

"3क. ऐसे राज्यक्षेत्रों के सिवाय, जिन पर उच्च न्यायालयों की मामूली आरंभिक सिविल अधिकारिता है, राज्य सरकार, संबंधित उच्च न्यायालय के परामर्श से अधिसूचना द्वारा जिला न्यायाधीश के स्तर पर इतनी संख्या में वाणिज्यिक अपील न्यायालय अभिहित कर सकेगी, जो वह इस अधिनियम के अधीन अधिकारिता का प्रयोग और उन न्यायालयों को शक्ति प्रदत्त करने के प्रयोजनों के लिए आवश्यक समझे ।"।

धारा 4 का संशोधन ।

**8.** मूल अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) में, मामूली सिविल अधिकारिता" शब्दों के स्थान पर, "मामूली आरंभिक सिविल अधिकारिता" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 9 का लोप ।

**9.** मूल अधिनियम की धारा 9 का लोप किया जाएगा ।

धारा 12 का संशोधन ।

**10.** मूल अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) में,--

(i) खंड (ग) के अंत में "हिसाब में लिया जाएगा" शब्दों के पश्चात्, "और" शब्द अंत:स्थापित किया जाएगा ;

(ii) खंड (घ) के अंत में आने वाले "और" शब्द का लोप किया जाएगा ;

(iii) खंड (ङ) का लोप किया जाएगा ।

नए अध्याय 3क का अंत:स्थापन ।

**11.** मूल अधिनियम के अध्याय 3 के पश्चात् निम्नलिखित अध्याय अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

**"अध्याय 3क**

## संस्थित करने से पहले मध्यकता और समझौता

संस्थित करने से पहले मध्यकता और समझौता ।

12क. (1) कोई वाद, जिसमें इस अधिनियम के अधीन किसी अत्यावश्यक अंतरिम अनुतोष की अपेक्षा नहीं है, तब तक संस्थित नहीं किया जाएगा, जब तक वादी ऐसी रीति और प्रक्रिया के अनुसार, जो केंद्रीय सरकार द्वारा नियमों द्वारा विहित की जाए, संस्थित करने से पहले मध्यकता का उपचार प्राप्त नहीं कर लेता है ।

(2) केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा संस्थित करने से पहले मध्यकता के प्रयोजनों के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अधीन गठित प्राधिकारियों को प्राधिकृत कर सकेगी ।

1987 का 39

(3) विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 में किसी बात के होते हुए भी

1987 का 39

उपधारा (2) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत प्राधिकारी वादी द्वारा उपधारा (1) के अधीन किए गए आवेदन की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर मध्यकता की प्रक्रिया पूरी करेंगे :

परंतु पक्षकारों की सहमति से मध्यकता की अवधि को दो मास की और अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा :

परंतु यह और कि उस अवधि की संगणना, जिसके दौरान पक्षकार संस्थित करने से पहले मध्यकता में लगे रहते हैं, परिसीमा अधिनियम, 1963 के अधीन परिसीमा के प्रयोजनों के लिए नहीं की जाएगी । 1963 का 36

(4) यदि वाणिज्यिक विवाद के पक्षकारों में समझौता हो जाता है तो उसे लेखबद्ध किया जाएगा और उस पर विवाद के पक्षकारों और मध्यस्थ के हस्ताक्षर होंगे ।

(5) इस धारा के अधीन हुए समझौते की वही प्रास्थिति और प्रभाव होगा मानो यह माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 30 की उपधारा (4) के अधीन सहमत निबंधनों पर कोई माध्यस्थम् अधिनिर्णय हो । 1996 का 36

धारा 13 का संशोधन ।

**12.** मूल अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(1) जिला न्यायाधीश के स्तर से नीचे के वाणिज्यिक न्यायालय के निर्णय या आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति निर्णय या आदेश की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर वाणिज्यिक अपील न्यायालय को अपील कर सकेगा ।

(1क) यथास्थिति, आरंभिक सिविल अधिकारिता का प्रयोग करने वाले जिला न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक प्रभाग के स्तर पर वाणिज्यिक न्यायालय के निर्णय या आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति निर्णय या आदेश की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर उस उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक अपील प्रभाग को अपील कर सकेगा :

परंतु कोई अपील, किसी वाणिज्यिक प्रभाग या किसी वाणिज्यिक न्यायालय द्वारा पारित ऐसे आदेशों से होगी, जो इस अधिनियम और माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 37 द्वारा यथासंशोधित सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 43 में विशिष्ट रूप से प्रगणित है ।"। 1996 का 26 1908 का 5

धारा 14 का संशोधन ।

**13.** मूल अधिनियम की धारा 14 में, "वाणिज्यिक अपील प्रभाग" शब्दों के स्थान पर, "वाणिज्यिक अपील न्यायालय और वाणिज्यिक अपील प्रभाग" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 15 का संशोधन ।

**14.** मूल अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (4) में, "आदेश 14क" शब्द, अंकों और अक्षर के स्थान पर "आदेश 15क" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ।

धारा 17 का संशोधन ।

**15.** मूल अधिनियम की धारा 17 में, "वाणिज्यिक न्यायालय" शब्दों के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं, "वाणिज्यिक न्यायालय, वाणिज्यिक अपील न्यायालय" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 20 का संशोधन ।

**16.** मूल अधिनियम की धारा 20 में, "वाणिज्यिक न्यायालय" शब्दों के स्थान पर, "वाणिज्यिक न्यायालय, वाणिज्यिक अपील न्यायालय" शब्द रखे जाएंगे ।

**17.** मूल अधिनियम की धारा 21 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :-- नई धारा 21क का अंत:स्थापन ।

"21क. (1) केंद्रीय सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी । केंद्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्तियों पर प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किए जा सकेंगे, अर्थात् :--

(क) धारा 12क की उपधारा (1) के अधीन संस्थित करने से पहले मध्यकता की रीति और प्रक्रिया ;

(ख) कोई ऐसा अन्य विषय, जो विहित किया जाना है या किया जाए या जिसके संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा उपबंध किया जाना है ।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, उसके बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह नियम निष्प्रभाव हो जाएगा । किंतु नियम के इस प्रकार परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

**18.** मूल अधिनियम की अनुसूची में,-- अनुसूची का संशोधन ।

(i) पैरा 4 के उपपैरा (ई) की मद (iv) में,--

(क) आरंभिक भाग में, "पहले परंतुक के पश्चात्" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ख) "परंतु यह और कि" शब्दों के स्थान पर, "परंतु" शब्द रखा जाएगा ;

(ii) पैरा 11 में, "वाणिज्यिक न्यायालय" शब्दों के स्थान पर, "वाणिज्यिक न्यायालय, वाणिज्यिक अपील न्यायालय" शब्द रखे जाएंगे ।

(iii) पैरा 11 के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा और 23 अक्तूबर, 2015 से अंत:स्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :--

"12. परिशिष्ट ज के पश्चात् निम्नलिखित परिशिष्ट अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

**'परिशिष्ट -झ**

**सत्य कथन**

(पहली अनुसूची, आदेश 6, नियम 15क और आदेश 11, नियम 3)

मैं.....अभिसाक्षी सत्यनिष्ठा से निम्नलिखित प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूं :

1. मैं उक्त वाद में पक्षकार हूं और इस शपथपत्र में शपथ लेने के लिए सक्षम हूं ।

2. मैं मामले के तथ्यों से भलिभांति परिचित हूं और मैंने उससे संबंधित सभी सुसंगत दस्तावेजों और अभिलेखों की परीक्षा भी की है ।

3. मैं यह कथन करता हूं कि पैरा..... में किया गया कथन, मेरी जानकारी के अनुसार सत्य हैं और पैरा.... में किए गए कथन प्राप्त सूचना पर आधारित हैं जिन्हें मैं सही होने का विश्वास करता हूं और पैरा... में किए गए कथन विधिक सलाह पर आधारित हैं ।

4. मैं यह कथन करता हूं कि किसी भी तात्विक तथ्य, दस्तावेज या अभिलेख का मिथ्या कथन नहीं किया गया है या छिपाया नहीं गया है और मैंने ऐसी सूचना को सम्मिलित किया है जो मेरे अनुसार इस वाद के लिए सुसंगत है ।

5. मैं यह कथन करता हूं कि मेरी शक्ति, कब्जे, नियंत्रण या अभिरक्षा में मेरे द्वारा आरंभ की गई कार्यवाहियों के तथ्यों और परिस्थितियों से संबंधित सभी दस्तावेज प्रकट कर दिए गए हैं और उनकी प्रतियां वादपत्र के साथ संलग्न हैं और यह कि मेरी शक्ति, कब्जा, नियंत्रण या अभिरक्षा में कोई अन्य दस्तावेज नहीं हैं ।

6. मैं यह कथन करता हूं कि पूर्व उल्लिखित अभिवचन में कुल मिलाकर.....पृष्ठ हैं जो मेरे द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित हैं ।

7. मैं यह कथन करता हूं कि इसके उपाबंध, मेरे द्वारा निर्दिष्ट और निर्भर किए गए दस्तावेजों की सत्य प्रतियां हैं ।

8. मैं यह कथन करता हूं कि मुझे यह जानकारी है कि किसी मिथ्या कथन या छिपाए जाने के लिए मैं तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन अपने विरुद्ध कार्रवाई किए जाने के दायित्वाधीन रहूंगा ।

स्थान :

तारीख :

अभिसाक्षी

**सत्यापन**

मैं.....यह घोषणा करता हूं कि पूर्वोक्त कथन मेरी जानकारी में सत्य हैं ।

स्थान.....पर तारीख.....को सत्यापित

अभिसाक्षी "।'।

**19.** इस अधिनियम के उपबंध इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को या उसके पश्चात् फाइल किए गए वाणिज्यिक विवादों से संबंधित मामलों में ही लागू होंगे ।

अधिनियम का, इसके आरंभ होने पर या उसके पश्चात् फाइल किए गए मामलों को लागू होना ।

2018 का अध्यादेश सं. 3

**20.** (1) वाणिज्यिक न्यायालय, उच्च न्यायालय वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपील प्रभाग (संशोधन) अध्यादेश, 2018 निरसित किया जाता है ।

निरसन और व्यावृत्ति ।

(2) उक्त अध्यादेश के निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी ।

## उद्देश्यों और कारणों का कथन

वाणिज्यिक न्यायालय, उच्च न्यायालय वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपील प्रभाग अधिनियम, 2015 को विनिर्दिष्ट मूल्य के वाणिज्यिक विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए वाणिज्यिक न्यायालय, उच्च न्यायालयों में वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपील प्रभाग के गठन के लिए अधिनियमित किया गया था ।

2. वैश्विक आर्थिक वातावरण अब बढ़ती हुई प्रतियोगिता वाला हो गया है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कारबार को आकर्षित करने के लिए भारत को विश्व बैंक की 'कारबार करने संबंधी रिपोर्ट' में अपने रैंक में और सुधार करने की आवश्यता है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कारबार करने के मापदंड के रूप में देश में विवाद समाधान वातावरण पर विचार किया गया है । इसके अतिरिक्त, जबरदस्त आर्थिक विकास से देश में अत्यधिक वाणिज्यिक क्रियाकलाप प्रारंभ हो गए हैं, जिसके अंतर्गत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, लोक निजी भागीदारी, आदि हैं, जिससे वाणिज्यिक विवादों के शीघ्र निपटारे के लिए, वाणिज्यिक विवादों को निपटाने के लिए न्यायालयों के क्षेत्र में विस्तार के लिए और कारबार करने की सुगमता को सुकर बनाने के लिए विधायी उपाय अपनाने में वृद्धि हुई है । यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि कम मूल्य के वाणिज्यिक विवादों के भी शीघ्र समाधान से स्वतंत्र और प्रतिसंवेदी भारतीय विधिक प्रणाली के बारे में निवेशकर्ताओं के लिए सकारात्मक छवि सृजित होती है । इसलिए वाणिज्यिक न्यायालय, उच्च न्यायालय वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपील प्रभाग अधिनियम, 2015 में संशोधन करने का प्रस्ताव है ।

3. चूंकि संसद् सत्र में नहीं थी और वाणिज्यिक न्यायालय, उच्च न्यायालय वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपील प्रभाग अधिनियम, 2015 में आवश्यक संशोधन करने के लिए, 'कारबार करने संबधी रिपोर्ट' में भारत की रैंकिंग में सुधार करने के लिए भी तुरंत कार्रवाई की जानी अपेक्षित थी । इसलिए 3 मई, 2018 को राष्ट्रपति द्वारा वाणिज्यिक न्यायालय, उच्च न्यायालय वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपील प्रभाग (संशोधन) अध्यादेश, 2018 प्रख्यापित किया गया था ।

4. वाणिज्यिक न्यायालय, उच्च न्यायालय वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपील प्रभाग (संशोधन) अध्यादेश, 2018 को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उपबंध हैं, अर्थात् :--

(i) वाणिज्यिक विवादों के विनिर्दिष्ट मूल्य को विद्यमान एक करोड़ रुपए से घटाकर तीन लाख रुपए करना और पक्षकारों को वाणिज्यिक विवादों के शीघ्र समाधान के लिए निम्नतम स्तर के अधीनस्थ न्यायालयों में जाने के लिए समर्थ बनाना ;

(ii) राज्य सरकारों को, मामूली आरंभिक सिविल अधिकारिता वाले उच्च न्यायालयों के संबंध में जिला न्यायाधीश स्तर पर वाणिज्यिक न्यायालयों का गठन करने के लिए और वाणिज्यिक विवादों का ऐसा धनीय मूल्य विनिर्दिष्ट करने के लिए, जो तीन लाख रुपए से कम और जिला न्यायालय की धनीय अधिकारिता से अधिक नहीं होगा, समर्थ बनाना ;

(iii) राज्य सरकारों को, उन राज्यक्षेत्रों के सिवाय, जिन पर उच्च न्यायालयों की मामूली आरंभिक सिविल अधिकारिता है, जिला न्यायाधीश स्तर पर जिला न्यायाधीश स्तर से नीचे के वाणिज्यिक न्यायालयों पर अपीलीय अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए ऐसी संख्या में वाणिज्यिक अपील न्यायालयों को पदाभिहित करने के लिए समर्थ बनाना ;

(iv) राज्य सरकारों को संपूर्ण राज्य या उसके भाग के लिए वाणिज्यिक विवाद का ऐसा धनीय मूल्य विनिर्दिष्ट करने के लिए समर्थ बनाना, जो तीन लाख रुपए से कम या ऐसे उच्चतर मूल्य से कम नहीं होगा ; और

(v) किसी वाद के संस्थित करने से पहले मध्यकता को अनिवार्य करने का वहां उपबंध करना, जहां कोई तुरंत अंतरिम राहत अपेक्षित नहीं है और इस प्रयोजन के लिए संस्थित करने से पहले मध्यकता तंत्र को सम्मिलित करने के लिए और केंद्रीय सरकार को इस प्रयोजन के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के लिए गठित प्राधिकरणों को प्राधिकृत करने के लिए समर्थ बनाना ।

5. विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए है ।

**नई दिल्ली ;**
**17 जुलाई, 2018**

**रवि शंकर प्रसाद**

## प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

विधेयक के खंड 11 में एक नया अध्याय 3क अंत:स्थापित करने का प्रस्ताव है, जो संस्थित करने से पहले मध्यकता और समझौते से संबंधित है । प्रस्तावित धारा 12क की उपधारा (1) में संस्थित करने से पहले मध्यकता के लिए रीति और प्रक्रिया का उपबंध है, जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाना है ।

2. विधेयक के खंड 17 में एक नई धारा 21क अंत:स्थापित करने का प्रस्ताव है, जो केंद्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति और लेइंग फार्मूला से संबंधित है ।

3. वे विषय, जिनकी बाबत पूर्वोक्त उपबंधों के अधीन नियम बनाए जा सकेंगे, प्रक्रिया और प्रशासनिक ब्यौरों के विषय हैं और विधेयक में ही उनके लिए उपबंध करना व्यवहार्य नहीं है । इसलिए विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है ।

उपाबंध

## वाणिज्यिक न्यायालय, उच्च न्यायालय वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपील प्रभाग अधिनियम, 2015 (2016 का अधिनियम संख्यांक 4) से उद्धरण

* * * * * * *

**विनिर्दिष्ट मूल्य के वाणिज्यिक विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए वाणिज्यिक न्यायालयों, उच्च न्यायालयों में वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपील प्रभाग का गठन करने और उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए**

**अधिनियम**

* * * * * * *

**अध्याय 1**

### प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।

**1.** (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम वाणिज्यिक न्यायालय, उच्च न्यायालय वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपील प्रभाग अधिनियम, 2015 है ।

* * * * * * *

परिभाषाएं ।

**2.** (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(क) "वाणिज्यिक अपील प्रभाग" से धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन गठित किसी उच्च न्यायालय का वाणिज्यिक अपील प्रभाग अभिप्रेत है ;

* * * * * * *

(झ) किसी वाणिज्यिक विवाद के संबंध में "विनिर्दिष्ट मूल्य" से, किसी वाद की बाबत विषय-वस्तु का धारा 12 के अनुसार यथा अवधारित ऐसा मूल्य अभिप्रेत है, जो एक करोड़ रुपए या ऐसे उच्चतर मूल्य से कम का नहीं होगा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए ।

* * * * * * *

**अध्याय 2**

### वाणिज्यिक न्यायालयों, उच्च न्यायालयों के वाणिज्यिक प्रभागों और वाणिज्यिक अपील प्रभागों का गठन

वाणिज्यिक न्यायालयों का गठन ।

**3.** (1) राज्य सरकार, संबंधित उच्च न्यायालय से परामर्श करने के पश्चात्, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के अधीन वाणिज्यिक न्यायालयों पर प्रदत्त अधिकारिता और शक्तियों का प्रयोग करने के प्रयोजन के लिए जिला स्तर पर उतने ऐसे न्यायालयों का गठन कर सकेगी जितने वह आवश्यक समझे :

परन्तु उस राज्यक्षेत्र के लिए, जिस पर उच्च न्यायालय की मामूली आरंभिक सिविल अधिकारिता है, किसी वाणिज्यिक न्यायालय का गठन नहीं किया जाएगा ।

* * * * * * *

(3) राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से राज्य में उच्चतर न्यायिक सेवा के काडर में से ऐसे एक या अधिक व्यक्तियों को, जिनके पास वाणिज्यिक विवादों के संबंध में कार्रवाई करने का अनुभव हो, वाणिज्यिक न्यायालय का या के न्यायाधीश नियुक्त कर सकेगी ।

उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक प्रभाग का गठन ।

**4.** (1) ऐसे सभी उच्च न्यायालयों में, जिन्हें मामूली सिविल अधिकारिता प्राप्त है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति, आदेश द्वारा, ऐसे वाणिज्यिक प्रभाग का, जिसमें एकल न्यायाधीश वाली एक या अधिक न्यायपीठें हों, इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त अधिकारिता और शक्तियों का प्रयोग करने के प्रयोजन के लिए गठन कर सकेगा ।

* * * * * * *

किसी वाणिज्यिक विवाद में प्रतिदावा विनिर्दिष्ट मूल्य का होने की दशा में वाद का अंतरण ।

**9.** (1) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी वाणिज्यिक विवाद के संबंध में किसी सिविल न्यायालय के समक्ष किसी वाद में फाइल किया गया प्रतिदावा विनिर्दिष्ट मूल्य का है, तो ऐसा वाद, सिविल न्यायालय द्वारा उस वाद पर राज्यक्षेत्रीय अधिकारिता रखने वाले, यथास्थिति, वाणिज्यिक प्रभाग या वाणिज्यिक न्यायालय को अंतरित कर दिया जाएगा । 1908 का 5

(2) यदि ऐसे वाद को उपधारा (1) में अनुध्यात रीति से अंतरित नहीं किया जाता है, तो प्रश्नगत सिविल न्यायालय पर पर्यवेक्षणीय अधिकारिता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय का वाणिज्यिक अपील प्रभाग, वाद के पक्षकारों में से किसी पक्षकार के आवेदन पर सिविल न्यायालय के समक्ष लंबित ऐसे वाद को वापस ले सकेगा और उसे विचारण के लिए अथवा उसका निपटारा करने के लिए उस वाद पर राज्यक्षेत्रीय अधिकारिता रखने वाले, यथास्थिति, वाणिज्यिक न्यायालय या वाणिज्यिक प्रभाग को अंतरित कर सकेगा और अंतरण संबंधी ऐसा आदेश अंतिम और आबद्धकर होगा ।

* * * * * * *

## अध्याय 3

## विनिर्दिष्ट मूल्य

विनिर्दिष्ट मूल्य का अवधारण ।

**12.** (1) किसी वाद, अपील या आवेदन में वाणिज्यिक विवाद की विषय-वस्तु के विनिर्दिष्ट मूल्य का अवधारण निम्नलिखित रीति से किया जाएगा,--

* * * * * * *

(ग) जहां किसी वाद, अपील या आवेदन में ईप्सित अनुतोष स्थावर संपत्ति या उसमें के किसी अधिकार के संबंध में है, वहां, यथास्थिति, वाद, अपील या आवेदन फाइल किए जाने की तारीख को स्थावर संपत्ति का जो बाजार मूल्य है, उसे ऐसे विनिर्दिष्ट मूल्य का अवधारण करने के लिए हिसाब में लिया जाएगा ; और

(घ) जहां किसी वाद, अपील या आवेदन में ईप्सित अनुतोष किसी अन्य अमूर्त अधिकार के संबंध में है, वहां, वादी द्वारा उक्त अधिकारों के यथा प्राक्कलित बाजार मूल्य को ऐसे विनिर्दिष्ट मूल्य का अवधारण करने के लिए हिसाब में लिया जाएगा; और

(ङ) जहां किसी वाद, अपील या आवेदन में प्रतिदावा किया जाता है, वहां प्रतिदावे की तारीख को ऐसे प्रतिदावे में वाणिज्यिक विवाद की विषय-वस्तु के मूल्य को हिसाब में लिया जाएगा ।

* * * * * * *

## अध्याय 4

## अपीलें

वाणिज्यिक न्यायालयों और वाणिज्यिक प्रभागों की डिक्रियों के विरुद्ध अपीलें ।

**13.** (1) ऐसा कोई व्यक्ति, जो वाणिज्यिक न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक प्रभाग के विनिश्चय से व्यथित है, अपील, यथास्थिति, निर्णय या आदेश की तारीख से साठ दिन के भीतर उस उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक अपील प्रभाग को कर सकेगा :

परन्तु कोई अपील किसी वाणिज्यिक प्रभाग या किसी वाणिज्यिक न्यायालय द्वारा पारित ऐसे आदेशों के विरुद्ध होगी जो इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 43 तथा माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 37 के अधीन विनिर्दिष्टतया प्रगणित है ।

1908 का 5
1996 का 26

* * * * * * *

अपीलों का शीघ्र निपटारा ।

**14.** वाणिज्यिक अपील प्रभाग, उसके समक्ष फाइल की गई अपीलों का निपटारा, ऐसी अपील के फाइल किए जाने की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर, करने का प्रयास करेगा ।

## अध्याय 5

## लंबित वादों का अन्तरण

लंबित मामलों का अन्तरण ।

**15.** (1) * * * * * *

(4) यथास्थिति, वाणिज्यिक प्रभाग या वाणिज्यिक न्यायालय नई समय-सीमाएं विहित करने के लिए या सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 14क के अनुसार ऐसे वाद या आवेदन के शीघ्र और प्रभावकारी निपटारे के लिए ऐसे और निदेश, जो आवश्यक हों, जारी करने के लिए ऐसे अन्तरित वाद या आवेदन के संबंध में मामला प्रबंधन सुनवाइयां कर सकेगा :

परन्तु सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 5 के नियम 1 के उपनियम (1) का परन्तुक ऐसे अन्तरित वाद या आवेदन को लागू नहीं होगा और न्यायालय, अपने विवेकानुसार, ऐसी नई समयावधि विहित कर सकेगा जिसके भीतर लिखित कथन फाइल किया जाएगा ।

* * * * * * *

## अध्याय 7

## प्रकीर्ण

वाणिज्यिक न्यायालयों, वाणिज्यिक प्रभागों और वाणिज्यिक अपील प्रभागों द्वारा डाटा का संग्रहण और प्रकटन ।

**17.** यथास्थिति, वाणिज्यिक न्यायालय, वाणिज्यिक प्रभाग या वाणिज्यिक अपील प्रभाग के समक्ष फाइल किए गए वादों, आवेदनों, अपीलों या रिट याचिकाओं की संख्या, ऐसे लंबित मामलों की संख्या, ऐसे प्रत्येक मामले की प्रास्थिति और निपटाए गए मामलों की संख्या के बारे में सांख्यिकी डाटा, वाणिज्यिक न्यायालय, वाणिज्यिक प्रभाग या वाणिज्यिक अपील प्रभाग द्वारा रखा जाएगा और उसे प्रतिमास अद्यतन किया जाएगा और सुसंगत उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा ।

* * * * * * *

प्रशिक्षण और सतत् शिक्षा ।

**20.** राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के परामर्श से, ऐसे न्यायाधीशों के, जिन्हें वाणिज्यिक न्यायालय, किसी उच्च न्ययालय के वाणिज्यिक प्रभाग या वाणिज्यिक अपील प्रभाग में नियुक्त किया जाए, प्रशिक्षण का उपबंध करने संबंधी आवश्यक सुविधाओं की स्थापना कर सकेगी ।

* * * * * * *

## अनुसूची

**(धारा 16 देखिए)**

* * * * * * *

पहली अनुसूची का संशोधन ।

4. संहिता की पहली अनुसूची में,--

* * * * * * *

(ई) आदेश 8 में,--

* * * * * * *

(iv) नियम 10 के पहले परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु यह और कि कोई न्यायालय, लिखित कथन फाइल करने के लिए इस आदेश के नियम 1 के अधीन उपबंधित समय बढ़ाने का आदेश नहीं करेगा ।";

* * * * * * *

आदेश 20 का संशोधन ।

11. संहिता के आदेश 20 के नियम 1 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(1) यथास्थिति, वाणिज्यिक न्यायालय, वाणिज्यिक प्रभाग या वाणिज्यिक अपील प्रभाग, बहस के समाप्त होने के नब्बे दिन के भीतर निर्णय सुनाएगा और विवाद के सभी पक्षकारों को इलैक्ट्रानिक मेल के माध्यम से या अन्यथा उनकी प्रतियां जारी करेगा ।"।

* * * * * * *

GIPMRND—748LS(CRC)—18-7-2018.